RNI No. MAHBIL /2009/35527

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ८, अंक ५] गुरुवार, फेब्रुवारी १७, २०२२/माघ २८, शके १९४३ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२

क्रमांक जीवका १५२१/प्रक्र ५४/नापु-२३.—ग्राहक बाबी, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) मध्ये दि. ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे :-

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, ०३ फरवरी, २०२२

का.आ. ४५२ (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, २०१६ में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

१ **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(१) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, २०२२ होगा।

(२) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

२. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, २०१६ में खंड ३ में, उप-खंड (२) में मद (iii) में और ८ अक्तूबर, २०२१ के आदेश के ३ में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :—

"(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ३० जून, २०२२ तक की अवधि तक एकसाथ सभी खाद्य तेलों और तिलहन की स्टॉक सीमा निम्नानुसार होगी :

आवश्यक वस्तु का नाम	खुदरा	थोक	बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (खुदरा विक्रेताओं की दुकानों की बडी चेन)		प्रोसेसर
			खुदरा दुकानें	डिपो	
खाद्य तेल	३० क्विंटल	५०० क्विंटल	३० क्विंटल	१००० क्विंटल	भंडारण क्षमता के ९० दिन
खाद्य तिलहन	१०० क्विंटल	२००० क्विंटल	- -		खाद्य तेलों के ९० दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार

इस नियंत्रण आदेश में विनिर्दिष्ट मात्राओं से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार को छूट प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अपवाद लागू होंगे :—

(क) कोई निर्यातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसका पूरा स्टॉक या उसका कुछ हिस्सा निर्यात के आशय से स्टॉक की सीमा में है।

(ख) कोई आयातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, यदि ऐसा आयातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का कुछ हिस्सा आयात से प्राप्त है।

३. यदि संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in) पर की जाएगी और इसे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ३० दिनों के भीतर इस नियंत्रण आदेश में निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाया जाएगा। ऊपर पैरा २ (iii) में उल्लिखित छः (६) राज्यों के मामले में, संबंधित विधिक इकाइयां राज्य प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का अनुपालन करेंगी और उपर्युक्त पोर्टल पर इसकी घोषणा करेंगी।

[फा. सं. ०६/०२/२०१७-तेल]

पार्थ एस. दास,
संयुक्त सचिव.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

Order

New Delhi, the 3rd February 2022

S.O. 452(E). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order 2016, namely :—

1. *Short Title and Commencement* -

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), item (iii) and 3 of Order dated 8th October, 2021 shall be replaced with the following :—

"(iii) All Edible Oils and oilseeds put together for a period upto 30th June, 2022 with following stock limit, for all States/Union Territories.

Name of Essential Commodity	**Retail**	**Wholesale**	**Bulk Consumers (Big chain retailers shops)**		**Processor**
			Retail outlets	**Depot**	
Edible Oil	30 Quintals	500 Quintals	30 Quintals	1000 Quintals	90 days of storage capacity
Edible Oilseeds	100 Quintals	2000 Quintals	- -		90 days production of edible oils, as per daily input production capacity

The states of Uttar Pradesh, Karnataka, Himachal Pradesh, Telangana, Rajasthan and Bihar are exempt from the quantities specified in this Control Order.

Further, the following exceptions shall apply :—

(a) an exporter, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, having Importer-Exporter Code Number issued by the Director General of Foreign Trade, if such exporter is able to demonstrate that the whole or part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are meant for exports, to the extent of the stock meant for export.

(b) an importer, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, if such importer is able to demonstrate that part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are sourced from imports."

3. In case, the stocks held by respective legal entities are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal (https://evegoils.nic.in/eosp/login) of Department of Food & Public Distribution and bring it to the prescribed stock limits in this Control Order within 30 days of the issue of this notification. In case of the six (6) States mentioned at para 2(iii) above, the respective legal entities shall follow the stock limits prescribed by the State Administration and declare the same on the above mentioned portal."

[F. No. 06/02/2017-Oils]

PARTHA S. DAS,
Jt. Secy.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

चारूशीला तांबेकर,
शासनाच्या सह सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.